



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 226 राँची, बुधवार

12 फाल्गुन, 1937 (श०)

2 मार्च, 2016 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

8 फरवरी, 2016

संख्या-एल0जी0-24/2015 -25/लेज0 झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अध्यादेश जिस पर राज्यपाल दिनांक 29 जनवरी, 2016 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

**झारखण्ड सम्पत्ति विनाश एवं क्षति निवारण अध्यादेश, 2015**

(झारखण्ड अध्यादेश-02,2016)

चूँकि, झारखण्ड राज्य का विधान सभा सत्र में नहीं है,

और चूँकि, झारखण्ड राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके चलते उन्हें इसमें इसके पश्चात् यथारीति से 'सम्पत्ति विनाश एवं क्षति निवारण अध्यादेश, 2015' प्रख्यापित करने हेतु तुरत कार्रवाई करना आवश्यक है।

अतएव, सम्प्रति, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:-

सम्पत्ति विनाश एवं क्षति निवारण और ऐसे अध्यादेश से उत्पन्न क्षतिपूर्ति तथा इसे सम्बद्ध एवं आनुषंगिक मामले के लिए उपबंध हेतु अध्यादेश।

यह भारतीय गणतंत्र के छियासठवें वर्ष में झारखण्ड राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित रूप में प्रख्यापित हो :-

(1) संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:-

- i. यह अध्यादेश 'सम्पत्ति विनाश एवं क्षति निवारण अध्यादेश, 2015' कहलाएगा।
- ii. इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- iii. यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

(2) परिभाषाएँ:-

जबतक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अध्यादेश में:-

(क) "अनिष्ट" शब्द का वही अर्थ होगा जो भारतीय दण्ड संहिता (45, 1860) की धारा 425 में है,

(ख) सम्पत्ति से अभिप्रेत है तथा उसमें शामिल हैं-

- i. "लोक सम्पत्ति" से अभिप्रेत है कोई सम्पत्ति, चाहे वह अचल हो या चल मशीनरी सहित, जो निम्नलिखित के स्वत्वाधीन या कब्जा में या नियंत्रणाधीन हो:-

(क) केन्द्रीय सरकार, या

(ख) किसी राज्य सरकार, या

(ग) किसी स्थानीय प्राधिकार, अथवा

(घ) केन्द्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित कोई निकाय, अथवा

(ङ.) कोई संस्था, प्रतिष्ठान या उपक्रम जिसे राज्य सरकार इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे,

परन्तु केन्द्र सरकार किसी संस्था या प्रतिष्ठान या उपक्रम को इस उपखंड के अधीन तबतक विनिर्दिष्ट नहीं करेगी जबतक कि ऐसी संस्था, प्रतिष्ठान या उपक्रम को पूर्णतः या मूलतः प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में केन्द्र सरकार अथवा एक या अधिक राज्य सरकारों या केन्द्र सरकार अथवा एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा अंशतः निधियों का उपबंध न किया जाए।

- ii. "निजी सम्पत्ति" से अभिप्रेत है कोई अन्य सम्पत्ति जो किसी निजी व्यक्ति की हो।

(ग) "संहिता" से अभिप्रेत है दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

(घ) इस अध्यादेश में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो संहिता या भारतीय दण्ड संहिता (45, 1860) में यथास्थिति उनके लिए क्रमशः समनुदेशित हैं।

## (3) सम्पत्ति से संबंधित अनिष्ट करने के लिए दण्ड:-

- (1) जो कोई उप-खण्ड (2) में उल्लिखित प्रकृति से भिन्न लोक सम्पत्ति का रिष्टि करता है तो उसे पाँच वर्षों तक का कारावास या जुर्माना हो सकता है।
- (2) जो कोई निम्नलिखित लोक सम्पत्ति के संबंध में रिष्टि करने की कोई कार्रवाई करता है -
  - (क) जल, प्रकाश, शक्ति या ऊर्जा के उत्पादन, वितरण या आपूर्ति के संबंध में प्रयुक्त भवन, प्रतिष्ठान या अन्य सम्पत्ति,
  - (ख) कोई तेल प्रतिष्ठान,
  - (ग) कोई मल संकार्य,
  - (घ) कोई खान या कारखाना,
  - (ड.) लोक परिवहन या दूर संचार का कोई साधन अथवा एतदर्थ प्रयुक्त कोई भवन,

प्रतिष्ठान या अन्य सम्पत्ति

तो उसे सश्रम कारावास से दंडित किया जायेगा, जिसकी न्यूनतम अवधि छः माह तथा अधिकतम अवधि पाँच वर्षों की होगी और उसके अलावा जुर्माना से भी दंडित किया जायेगा।

परन्तु न्यायालय अपने निर्णय में विशेष कारणों को अभिलिखित करते हुए छः माह से कम अवधि के कारावास का दण्ड दे सकता है।

- (3) जो कोई धारा (3) के अधीन उप-खण्ड (1) अथवा उप-खण्ड (2) के अंतर्गत अग्नि या विस्फोटक पदार्थ से अपराध करता है, उसे सश्रम कारावास से दंडित किया जायेगा, जिसकी न्यूनतम अवधि एक वर्ष तथा अधिकतम अवधि दस वर्षों की होगी और उसके अलावा जुर्माना से भी दंडित किया जायेगा।

परन्तु न्यायालय अपने न्याय निर्णय में विशेष कारणों को अभिलिखित करते हुए एक वर्ष से कम अवधि के कारावास का दण्ड दे सकता है।

## (4) आयोजकों द्वारा जैसे ही प्रदर्शन, आन्दोलन, बंद, हड़ताल का आयोजन किया जाता है तो उनका कर्तव्य होगा कि:-

- i. आयोजक शांतिपूर्ण अभियान या विरोध के लिए मार्ग के पुनर्विलोकन एवं संशोधन करने हेतु पुलिस से मिलेगा।
- ii. चाकू, लाठी एवं उस प्रकार के अन्य हथियार को प्रतिबंधित किया जाएगा।
- iii. प्रत्येक सुसंगत चैराहे पर मार्शल सहित से शांतिपूर्ण अभियान सुनिश्चित करने के लिए आयोजकों द्वारा वचनबद्धता का उपबंध किया जाएगा।

जो भी कोई किसी प्रदर्शन, आंदोलन, बंद, हड़ताल में उपर्युक्त कर्तव्यों में उल्लिखित किसी बात/उसके किसी भाग का उल्लंघन करता है तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा।

## (5) पुलिस एवं प्रशासन का कर्तव्य :-

- i. पुलिस एवं राज्य सरकार को ऐसे विरोधों के संभावित अधिकतम विडियोग्राफी तैयार कर लेनी चाहिए।
- ii. यदि आयोजन जिला स्तर तक सीमित हो तो पुलिस अधीक्षक तथा यदि आयोजन का विस्तार एक जिले से तक हो तो राज्य का उच्चतम पुलिस पदाधिकारी प्रदर्शन-पर्यवेक्षण का प्रभारी होगा।
- iii. प्रदर्शन के हिंसक होने की दशा में प्रभारी अधिकारी निजी ऑपरेटर द्वारा घटना का विडियोग्राफी सुनिश्चित करेगा और घटना की और अधिक जानकारी के लिए मिडिया अथवा किसी अन्य से अनुरोध करेगा।
- iv. पुलिस पदाधिकारी किसी बन्द या प्रदर्शन के दौरान हुई क्षति, विनाश सहित घटना की रिपोर्ट राज्य सरकार को तुरंत देगा।
- v. राज्य सरकार पुलिस रिपोर्ट एवं अन्य उपलब्ध जानकारी के आधार पर रिपोर्ट तैयार करेगी और अपनी रिपोर्ट के साथ यथास्थिति, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में न्यायालय द्वारा विचाराधीन मामले में स्वप्रेरणा से कार्रवाई करने हेतु याचिका दाखिल करेगी।

## (6) क्षति निर्धारण के लिए अपनाए जानेवाले निदेश:-

- i. जहाँ कहीं विरोध-प्रदर्शन के चलते सम्पत्ति का बड़ी मात्रा में विनाश होता है तो उच्च न्यायालय स्वप्रेरणा से कार्रवाई करेगा और क्षति आकलन के अन्वेषण के लिए मशीनरी का गठन करेगा तथा उससे संबंधित क्षतिपूर्ति पर निर्णय देगा।
- ii. जहाँ एक से अधिक राज्य का मामला हो वहाँ उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसी कार्रवाई की जाएगी।
- iii. प्रत्येक मामले में यथास्थिति, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, क्षति आकलन एवं जिम्मेदारी अन्वेषण करने के लिए दावा आयुक्त के रूप में उच्च न्यायालय के कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा कार्यरत या सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकेगा।
- iv. दावा आयुक्त की सहायता के लिए कोई असेसर नियुक्त किया जा सकेगा।
- v. क्षति के ठीक-ठीक आकलन और क्षति का क्षतिकर्ताओं के साथ संबंध स्थापित करने हेतु दावा आयुक्त एवं असेसर निजी एवं सरकारी स्रोतों से विडियो या अन्य रिकार्डिंग करने वाले को सम्मन करने हेतु यथास्थिति, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय से अनुदेश प्राप्त करेगा।
- vi. घटना में हुई अवक्षेपित क्षति के साथ क्षतिकर्ताओं का एक बार सम्बन्ध स्थापित हो जाने पर पूर्ण जिम्मेवारी का सिद्धान्त लागू हो जाएगा।
- vii. वास्तविक अपराधकर्ताओं के साथ-साथ घटना के आयोजकों को भी यथास्थिति, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से यथा निर्धारित जिम्मेवारी में हिस्सेदारी का वहन करना होगा।
- viii. उदाहरणीय क्षति, भुगतान की जानेवाली क्षति की रकम के दूगुने से अधिक नहीं दी जा सकती है।
- ix. क्षति निर्धारित की जाएगी:-

- (क) लोक सम्पत्ति की क्षति,  
 (ख) निजी सम्पत्ति की क्षति,  
 (ग) व्यक्ति या व्यक्तियों के जख्म या मृत्यु के कारण क्षति, और  
 (घ) निवारक और अन्य कार्रवाई करने के लिए प्राधिकारों एवं पुलिस द्वारा की गयी कार्रवाई की लागत।
- X दावा आयुक्त उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को रिपोर्ट करेगा जो पक्षकारों को सुने जाने के पश्चात जिम्मेदारी का निर्धारण करेगा।

दावा की रकम जुर्माना वसूली संहिता में यथा उपबंधित प्रक्रिया से वसूली जाएगी।

**(7) जमानत से संबंधित विशेष उपबंध:-**

धारा-3 या धारा-4 के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियुक्त या सिद्धदोष कोई व्यक्ति, यदि अभिरक्षा में है तो वह जमानत अथवा अपने बंधपत्र पर तबतक मुक्त नहीं किया जाएगा जबतक कि ऐसी मुक्ति के आवेदन का विरोध करने का अवसर अभियोजन को नहीं प्रदान किया गया हो।

- (8) संज्ञेय अपराध-** इस अधिनियम के अधीन अपराध संज्ञेय एवं गैर जमानतीय होगा, तथा प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी के न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा।
- (9) नियम बनाने की शक्ति-** राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।
- (10) व्यावृत्ति -** इस अध्यादेश का कोई उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों अतिरिक्त होगा न कि उसके अल्पीकरण तथा इस अध्यादेश में अन्तर्विष्ट कोई बात किसी व्यक्ति को किसी ऐसी कार्यवाही (चाहे अन्वेषण हो या अन्यथा) से छूट नहीं देगी जो इस अध्यादेश के अलावा उसके विरुद्ध संस्थित या की गयी थी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**बी0 बी0 मंगलमूर्ति,**  
 प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी  
 विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

## विधि (विधान) विभाग

8 फरवरी, 2016

संख्या-एल0 जी0-24/2015-26/लेज0 झारखण्ड विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 29 जनवरी, 2016 को अनुमत सम्पत्ति विनाश एवं क्षति निवारण अध्यादेश, 2015 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन उक्त अध्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

### **The Jharkhand Prevention of Destruction and Damage to Property Ordinance, 2015** **(Jharkhand Ordinance -02,2016)**

WHEREAS, the Legislative Assembly of the State of Jharkhand is not in session,

AND, WHEREAS, the Governor of Jharkhand is satisfied that circumstances exists which render it necessary for him to take immediate action to promulgate an Ordinance for Prevention of Destruction and Damage to Property, 2015 in the manner herein after appearing ;

NOW, THEREFORE, in the exercise of powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Jharkhand is pleased to promulgate the following Ordinance :-

An Ordinance to provide for Prevention of Destruction and Damage to Property and for Compensation arising out of such Ordinance and for matters Connected therewith and incidental thereto.

Be it promulgated by the Governor of Jharkhand State in the 66<sup>th</sup> year of the Republic of India as follows :-

**(1) Short title, extent and commencement :-**

- (i) This Ordinance may be called the "**Prevention of Destruction and Damage to Property Ordinance, 2015**"
- (ii) It extends to the whole of Jharkhand State.
- (iii) It shall be deemed to have come into force on the date of notification

**(2) Definition :-**

In this Ordinance unless the Context otherwise requires :-

- (A) "mischief" shall have the same meaning as given in section 425 of the Indian penal code (45 of 1860);
- (B) Property means and includes -
  - (i) "**Public Property**" means any property, whether immovable or movable including any machinery which is owned by, or is in the possession of, or under the control of -
    - (a) The Central Government, or
    - (b) Any State Government; or
    - (c) Any local authority; or
    - (d) any corporation established by, or under, a Central, Provincial or State Act or
    - (e) Any institution, concern or undertaking which the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf, provided that the Central Government shall not specify, any institution, concern or undertaking

under this sub clause unless such institution, concern or undertaking is financed wholly or substantially by funds provided directly or indirectly by the Central Government or by one or more State Governments, or partly by the Central Government and partly by one or more State governments.

(ii) "**Private Property**" means any other property which belongs to a private person.

(C) "Code" means the Code of Criminal Procedure 1973

(D) Words and expressions used in this Ordinance but not defined in the Ordinance and defined in the Code or the Indian Penal Code (45 of 1860) Shall have the meaning assigned to them respectively in the code or as the case may be in the Indian Penal Code.

**(3) Punishment for committing mischief in respect of Property :-**

(1) Whoever commits mischief by doing any act in respect of any property, other than private property of the nature referred to in sub-section (2)(ii) shall be punished with imprisonment for a term which may extend to five years and with fine.

(2) Whoever commits mischief by doing any act in respect of any public property being-

(a) any building, installation or other property used in connection with the production, distribution or supply of water, light, power or energy,

(b) any oil installation;

(c) any sewage work;

(d) any mine or factory;

(e) any means of public transportation or of telecommunications, or any building, installation or other property used in connection therewith. shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than six months, but which may extend to five years and with fine:

Provided that the court may, for reasons to be recorded in its judgment, award a sentence of imprisonment for a term of less than six months.

(3) Whoever commits an offence under sub-section (1) or sub-section (2) of section 3 by fire or explosive substance shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than one year, but which may extend to ten years and with fine.

provided that the court may, for special reasons to be recorded in its judgment, award a sentence of imprisonment for a term of less than one year.

**(4) Duties of organizer who calls for demonstrations agitations, bands, hartals and like as soon as there is a demonstration organized :-**

(i) The organizer shall meet the police to review and revise the route to be taken and to lay down conditions for a peaceful march or protest

(ii) All weapons, including knives, lathis and the likes shall be prohibited.

(iii) An undertaking is to be provided by the organizers to ensure peaceful march with marshals at each relevant junction.

Whoever in violation with the duties mentioned above causes/participates in any demonstrations agitations, bands, hartals shall be punished with the imprisonment which may extend to one year or with fine or with both.

**(5) Duties of police and administration :-**

- (i) The police and the State Government Should ensure videography of such protests to the maximum extent possible.
- (ii) The person in charge to supervise the demonstration should be District Superintendent of Police (if the situation is confined to the district) and the highest Police Official in the State where the situation stretches beyond one district.
- (iii) In the event of demonstrations turn violent, the Officer in Charge shall ensure that the events are video-graphed through private operators and also request such further information form the media and others on the incidents in question.
- (iv) The Police Officers shall immediately inform the State Government with reports on the event including damage, destruction if any caused in or during such demonstration.
- (v) The State Government shall prepare a report on the police reports and other information that may be available to it, and shall file a petition including its report in the High Court or the Supreme Court as the case may be, for Court in question to take suo motu action.

**(6) Directions to be adopted to assess damages :-**

- (i) Wherever a mass destruction to property takes place due to protests or thereof, the High Court may issue suo motu action and set up machinery to investigate the damage caused and to award compensation related there to.
- (ii) Where there is more than one State involved, such action may be taken by the Supreme Court.
- (iii) In each case, the High Court or the Supreme Court, as the case may be, appoint a sitting or retired High Court Judge or a sitting or retired District Judge as a Claims commissioner to estimate the damages and investigate liability.
- (iv) An assessor may be appointed to assist the Claims Commissioner.
- (v) The Claims Commissioner and the assessor may seek instructions from the High Court or the Supreme Court as the case may be, to summon the existing video or other recordings from private and public sources to pinpoint the damage and establish nexus with the perpetrators of the damage.
- (vi) The principles of absolute liability shall apply once the nexus of the perpetrator with the event that precipitated the damage is established.
  - (vii) The liability will be borne by the actual perpetrators of the crime as well as the organizers of the event giving rise to the liability to be shared, as finally determined by the High Court or the Supreme Court as the case may be.
- (viii) Exemplary damages may be awarded to an extent not greater than twice the amount of the damages liable to be paid.
- (ix) Damages shall be assessed for:
  - (a) damages to public property;
  - (b) damages to private property;
  - (c) damages causing injury or death to a person or persons; and
  - (d) cost of the actions by the authorities and police to take preventive and other actions.



- (x) The Claims Commissioner will make a report to the High Court or the Supreme Court which will determine the liability after hearing the parties.

The amount of claims shall be recovered by the process as provided in the code for recovery of fine.

**(7) Special Provisions regarding bail :-**

No Person accused or convicted of an offence punishable under section 3 or section 4 shall, if in custody, be released on bail or on his own bond unless the prosecution has been given an opportunity to oppose the application for such release.

- (8) Offence to be cognizable: -** an offence under this Act shall be cognizable, non bailable and triable by the court of the magistrate of 1<sup>st</sup> class.

- (9) Power to make Rules: -** The State Government may make rules for carrying out the provisions of this Act.

**(10) Saving -** The provisions of this ordinance shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force and nothing contained in this ordinance shall exempt any person from any proceeding (whether by way of investigation or other wise) which might apart from this ordinance be instituted or taken against him.

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**बी० बी० मंगलमूर्ति,**

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी,

विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

-----